

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15()14/श्रम/प्रमुवसं/1353-72

दिनांक 6.5.16

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज.जयपुर।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

वानिकी प्रशिक्षण सस्थान

जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक,

उदयपुर/जयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)

जयपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/सरिस्का (मु0) अलवर।

मुख्य वन संरक्षक (विभागीय कार्य)

जयपुर/बनास नदी परि. जयपुर/आरवीपी कोटा/वनवर्धन जयपुर/प्रावैधिक सहायक

प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।

विषय:-वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी ई प्रकरणों के संबंध में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492

सन्दर्भ:-इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5055-77 दिनांक 28.12.15, 185-201


दिनांक 03.02.16 एवं अर्द्धशासकीय पत्रांक 1003-1093 दिनांक 05.04.16

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण में सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करावे। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद में आयोग ने दिनांक 25.05.16 को बकाया टी ई के प्रकरणों की सूची सहित टी ई प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया है।

अतः आपके एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों की बकाया टी ई प्रकरणों की नवीनतम सूचना 15.05.16 तक पत्र क्रमांक 5055-70 दिनांक 28.12.15 के संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को भिजवावे।

भवदीय,



(ए.के.सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

श्रम एवं विधि


राज.जयपुर

दिनांक 6.5.16

क्रमांक:- एफ 15()14/श्रम/प्रमुवसं/1373-1480

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कम्प्यूटर अनुभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।



(ए.के.सिंह)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

श्रम एवं विधि

राज.जयपुर

AS